कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
पत्रांक 3527 /33–1, दिनांक, अप्रैल 27 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाट वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– बहराईच–गोण्डा एस0एच0–30 के कि0मी0 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुदुढ़ीकरण में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2637 वृक्ष तथा 22260 पौधों के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2400/11सी दिनांक 22.01.2023 एवं आपका पत्रांक 2383/33–1 दिनांक 20.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–2520/33–1 दिनांक 30.01.2023 से अधिशाषी अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड लो0नि0वि0 बहराईच को इंगित अपत्तियों का वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, उनके द्वारा अपने पत्र सं0–46/3सी0 दिनांक 20.02.2023 में संलग्न कर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण करके सम्बन्धित अभिलेख दिनांक 02.03.2023 को इस कार्यालय में 5 प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है। जिससे सम्बन्धित अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्न कर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, उत्तरालेख निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टीफिकेशन) प्रमाण पत्र अपूर्ण है। तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जस्टीफिकेंशन प्रमाण पत्र पूर्ण कर दिया गया है तथा उस पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर दिया गया है।
2	पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। किन्तु शारांश में बाधक वृक्षों का व्यासवार गलत अंकित किया गया है। अतः सही कर संशोधित शारांश ऑनलाइन अपलोड करें।	पातन होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है। बाधक वृक्षों का व्यासवार अंकित कर संशोधित शारांश ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	लागत लाभ विशलेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु एन0पी0वी0 की दर पुरानी दर से ली गयी है। अतः सही कर अपलोड करें।	लागत लाभ विशलेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है एन0पी0वी0 भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक 5–3/2011–एफ0सी0(बी0ओ0एल0–1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार आकंलित किया कर अपलोड किया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के जियो रिफरेन्श डिजीटल मैप पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के जियो रिफरेन्श डिजीटल मैप पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नही है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
6	पावर ऑफ आर्टनी/आर्थटी पत्र प्रस्ताव में संलग्न नही है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संलग्न कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नही है।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर कर दिया है।

P.T.O.

8	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है। किन्तु स्थल चिन्हित नही है।	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है, एवं स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
9	प्रस्ताव में 10 कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्च्यूरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	प्रस्ताव में 10 कि0मी0 की परिधि में कोई सेन्च्यूरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी है।
10	मलबा उत्सर्जन सम्बधी प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	मलबा उत्सर्जन सम्बधी प्रमाण पत्र संलग्न है। उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
12	रोड साइड पटटी वृक्षारोपण करायें जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।	रोड साइड पटटी वृक्षारोपण करायें जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
14	ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न भिन्न अंकित है जो कि गलत है; अतः एक समान सही विवरण ऑन लाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में अंकित करें।	ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण एक समान अंकित कर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
15	ऑनलाइन भाग–2 में 2637 बाधक वृक्षों का उल्लेख किया गया है। जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही बाधक वृक्षों की संख्या हार्ड कापी भाग–2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	अतः सही बाधक वृक्षों की संख्या हार्ड कापी भाग–2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।।
16	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रोफार्मा–29 की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्ताव से प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
17	ऑनलाइन भाग–2 में सी0ए0 की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है। जो कि स्वीकार नहीं है। अतः सम्बन्धित सी0ए0 पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।	सम्बन्धित सी0ए0 पैचों की ही के0एम0एल फाइल अपलोड कर दिया गया है।
18	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 16 प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भाग–2 अपलोड नहीं किया गया है।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का भाग–2 अपलोड कर दिया गया है।
19	पेनड्राइव में सी0ए0 की समेकित के0एम0एल0 फाइल अपलोड की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित सी0ए0 पैचों की ही के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या.........................अ/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।